# भारत सरकार

# रेल मंत्रालय

# पश्चिम रेलवे

# रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ

**पार्सलडिपो ,अलीभाईप्रेमजीरोड ,ग्रांटरोडमुम्बई.400007 -**

**वेबसाइट:https://www.rrc-wr.com**

**रोजगार सूचना संख्या:RRC/WR/01/2026 (स्पोर्ट्स कोटा)दिनांक :27-08-2026**

**वर्ष 2026-27 हेतु खुली विज्ञापन अधिसूचना के माध्यम से खेल कोटा के अंतर्गत भर्ती**

1. पश्चिम रेलवे वर्ष **2026-27** के लिए खेल कोटा (मद संख्या 2 के अनुसार) के अंतर्गत पश्चिम रेलवे में **ग्रुप 'C' के 21** पदों तथा **ग्रुप 'D' के 43** पदों (पूर्ववर्ती ग्रुप 'D') को भरने हेतु भारत के नागरिक पात्र खिलाड़ियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। इस भर्ती में **SC/ST/OBC/EWS/PwBD/Ex-SM**वर्गों के लिए कोई आरक्षण उपलब्ध नहीं है।

**अनुसूची**

| | |
|---|---|
| **ऑनलाइन आवेदनकरने की प्रारंभिक तिथि एवं समय** | **01.09.2026को 10:00 बजे** |
| **ऑनलाइन आवेदनकरने की अंतिम तिथि एवं समय** | **30.09.2026को 18:00 बजे** |

**1. पदों का खेल (विधा)के अनुसार वर्गीकरण**

**(A) लेवल-5/4 (7 वे केन्द्रीय वेतन आयोग केअनुसार)**

| खेल विधा | इवेंट / प्रवीणता | पद |
|---|---|---|
| एथलेटिक्स (पुरुष) | 100 मीटर, 200 मीटर, 800 मीटर, डेकाथलॉन, शॉट पुट | 1 |
| जिम्नास्टिक्स (पुरुष) | ऑल राउंडर, फ्लोर एक्सरसाइज, पॉमेल हॉर्स, स्टिल रिंग्स, वॉल्ट, पैरेलल बार्स, हॉरिजॉन्टल बार | 1 |
| हॉकी (महिला) | स्ट्राइकर, मिडफील्डर, ऑल राउंडर | 1 |
| भारोत्तोलन (पुरुष) | 71 किग्रा, 88 किग्रा, 110 किग्रा (पुरानी भार श्रेणी मे 67 किग्रा, 89 किग्रा, 109 किग्रा) | 1 |
| कुश्ती (पुरुष) -फ्री स्टाइल | 57 किग्रा, 79 किग्रा, 86 किग्रा, 92 किग्रा | 1 |
| **कुल** | | **05** |

**(B) लेवल3/2 (7 वे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार )**

| खेल विधा | इवेंट /प्रवीणता | पद |
|---|---|---|
| एथलेटिक्स (पुरुष) | 100 मीटर, 200 मीटर, 800 मीटर, डेकाथलॉन, शॉट पुट | 1 |
| एथलेटिक्स(महिला) | 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 3000 मीटर स्टीपलचेज़ | 1 |
| क्रिकेट(पुरुष) | ऑल राउंडर, तेज गेंदबाज, बल्लेबाज | 2 |
| क्रिकेट (महिला) | स्पिन बॉलिंग ऑल राउंडर, तेज गेंदबाज | 2 |
| डाइविंग(पुरुष) | 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड, 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड, हाई बोर्ड | 1 |
| डाइविंग(महिला) | 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड, 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड, हाई बोर्ड | 1 |
| फुटबॉल(पुरुष) | गोलकीपर, डिफेंडर, मिडफील्डर | 2 |
| जिम्नास्टिक्स (पुरुष) | ऑल राउंडर, फ्लोर एक्सरसाइज, पॉमेल हॉर्स, स्टिल रिंग्स, वॉल्ट, पैरेलल बार्स, हॉरिजॉन्टल बार | 1 |
| हॉकी (महिला) | स्ट्राइकर, मिडफील्डर, ऑल राउंडर | 1 |
| पावरलिफ्टिंग (महिला) | 57 किग्रा, (84 किग्रा से अधिक) | 1 |
| तैराकी (पुरुष) | 50 मीटर फ्रीस्टाइल, 100 मीटर फ्रीस्टाइल | 1 |
| भारोत्तोलन (पुरुष) | 71 किग्रा, 88 किग्रा, 110 किग्रा (पुरानी भार श्रेणी मे 67 किग्रा, 89 किग्रा, 109 किग्रा) | 1 |
| कुश्ती (पुरुष) - फ्री स्टाइल | 57 किग्रा, 79 किग्रा, 86 किग्रा, 92 किग्रा | 1 |
| **कुल** | | **16** |

**(c) लेवल1 (7 वे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार )**

| खेल विधा | इवेंट /प्रवीणता | पद |
|---|---|---|
| एथलेटिक्स(पुरुष) | 400 मीटर हर्डल्स, हाई जंप, 10000 मीटर | 2 |
| एथलेटिक्स (महिला) | 400 मीटर हर्डल्स, पोल वॉल्ट, शॉट पुट | 2 |
| बॉल बैडमिंटन (पुरुष) | फ्रंट कम सेंटर, बैक पोजीशन | 4 |
| बास्केटबॉल (पुरुष) | ऑल राउंडर | 2 |
| बास्केटबॉल (महिला) | ऑल राउंडर | 2 |
| बॉक्सिंग (पुरुष) | 50 किग्रा, 70 किग्रा, 75 किग्रा, 90 किग्रा से अधिक (पुरानी भार श्रेणी में51 किग्रा, 71 किग्रा, 75 किग्रा, 92 किग्रा से अधिक) | 2 |
| बॉक्सिंग (महिला) | 48 किग्रा, 60 किग्रा, 70 किग्रा, 81 किग्रा से अधिक (पुरानी भार श्रेणी में48 किग्रा, 60 किग्रा, 70 किग्रा, 81 किग्रा से अधिक) | 2 |
| बॉडी बिल्डिंग (पुरुष) | 55 किग्रा, 70 किग्रा, 75 किग्रा, 90 किग्रा, 100 किग्रा से अधिक | 2 |
| साइक्लिंग (पुरुष) | इंडिविजुअल टाइम ट्रायल, क्राइटेरियम रेस, इंडिविजुअल रोड रेस | 2 |
| हॉकी (पुरुष) | डिफेंडर, मिडफील्डर, फॉरवर्ड | 2 |
| हैंडबॉल (पुरुष) | राइट विंग, गोलकीपर | 2 |
| हैंडबॉल (महिला) | राइट बैक, लेफ्ट बैक | 2 |
| खो-खो (पुरुष) | ऑल राउंडर | 4 |
| खो-खो (महिला) | ऑल राउंडर | 2 |
| पावरलिफ्टिंग (पुरुष) | 66 किग्रा, 74 किग्रा, 93 किग्रा, 120 किग्रा | 3 |

| | | |
|---|---|---|
| तैराकी (पुरुष) | 400 मीटर इंडिविजुअल मेडले, 200 मीटर बटरफ्लाई | 1 |
| वॉलीबॉल (महिला) | सेटर, ब्लॉकर, लिबेरो, अटैकर, ऑल राउंडर | 3 |
| वाटर पोलो (पुरुष) | ऑल राउंडर | 2 |
| भारोत्तोलन (महिला) | 63 किग्रा, 86 किग्रा, 86 किग्रा से अधिक( पुरानी भार श्रेणी मे 59 किग्रा, 81 किग्रा, 87 किग्रा से अधिक) | 2 |
| **कुल** | | **43** |

**नोट:**जिन खिलाड़ियों के पास लेवल-5/4 के खेल मानदंड (Sports Norms) हैं और जिन्होंने लेवल-3/2 के लिएआवेदन किया है, उन्हें केवल लेवल-3/2 के लिए ही विचार किया जाएगा। ट्रायल के समय उन्हें एक घोषणापत्र (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि रेलवे में नियुक्ति के बाद वे रेलवे में शामिल होने से पूर्व की खेल उपलब्धियों के आधार पर उच्च वेतन स्तर (Higher Pay Level) का दावा नहीं करेंगे।

यदि किसी विशेष खेल विधा (Sports Discipline) में लेवल-5/4 की रिक्तियां उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण नहीं भर पाती हैं, तो ऐसी रिक्तियों को उसी खेल विधा के लेवल-3/2 के उम्मीदवारों से भरा जाएगा।

## 3. पात्रता की शर्तें

### 3.1 आयुसीमा

न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 25 वर्ष दिनांक 01/01/2027 को होनी चाहिए। 01/01/2002 से 01/01/2009 के बीच जन्मे उम्मीदवार (दोनों तिथियाँ सम्मिलित) ही आवेदन कर सकते हैं।

**3.2 शैक्षणिक योग्यता:**आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएँ होना अनिवार्य है।

| क्रम संख्या | लेवल | न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता |
|---|---|---|
| .1 | **लेवल 5/4** | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विधा में स्नातक (Graduate) की डिग्री। |
| .2 | **लेवल 3/2** | 12वीं (+2 स्तर) या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए।**अथवा**किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (10वीं) उत्तीर्ण तथा कोर्स कम्प्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप।**अथवा**किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (10वीं) उत्तीर्ण तथा NCVT/SCVT द्वारा अनुमोदित ITI। |
| 3 | **लेवल-1** | किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (मैट्रिकुलेशन) उत्तीर्ण**अथवा**ITI उत्तीर्ण**अथवा**समकक्ष योग्यता**अथवा**NCVT द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रमाण-पत्र (NAC)। |

**नोट** (I ) :यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति (क्लर्ककम टाइपिस्ट--Clerk-cum-Typist) श्रेणी में की जाती है, तो उसे नियुक्ति की तिथि से चार वर्ष की अवधि के भीतर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट (w.p.m.) अथवा हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट (w.p.m.) की टाइपिंग दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इस परीक्षा के उत्तीर्ण होने तक उक्त श्रेणी में उसकी नियुक्ति अस्थायी (Provisional) मानी जाएगी।

(II) उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को ट्रायल के समय संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

(III) निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी पात्र नहीं हैं, अतः उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

## 3.3 खेल उपलब्धियाँ

a) **केवल वे खिलाड़ी, जिन्होंने 01/04/2024 से अधिसूचना जारी होने की तिथि तक संबंधित चैम्पियनशिप में निर्धारित खेल उपलब्धि पात्रता मानदंड प्राप्त किए हैं तथा वर्तमान में सक्रिय खिलाड़ी हैं, खेल कोटा के अंतर्गत नियुक्ति हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे।**

b) खेल उपलब्धि की वैधता के निर्धारण हेतु संबंधित चैम्पियनशिप/प्रतियोगिता के समापन दिवस (Concluding Day) को आधार माना जाएगा।

c) संबंधित खेल विधा में खेली गई विशिष्ट श्रेणी यदि लागू हो, का उल्लेख ऑनलाइन आवेदन में अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।

| क्रमांक | लेवल | न्यूनतमखेलमानदंडआवश्यक |
|---|---|---|
| 1 | **लेवल 4/5** | (A) ओलंपिकखेलोंमेंदेशकाप्रतिनिधित्वकिया (सीनियरश्रेणी)<br>**अथवा**<br>(B) वर्ल्ड कप (जूनियर/युवा/सीनियर श्रेणी) **अथवा** वर्ल्ड चैंपियनशिप (जूनियर/सीनियर श्रेणी) **अथवा** एशियाई खेल (सीनियर श्रेणी) **अथवा** राष्ट्रमंडल खेल (सीनियर श्रेणी) **अथवा** युवा ओलंपिक **अथवा** चैंपियंस ट्रॉफी (हॉकी) **अथवा** थॉमस/उबर कप (बैडमिंटन) में कम-से-कम तृतीय (तीसरा) स्थान प्राप्त किया हो। |
| 2 | **लेवल 3/2** | (A) विश्व कप (जूनियर/युवा/सीनियर श्रेणी) **अथवा** विश्व चैंपियनशिप (जूनियर/सीनियर श्रेणी) **अथवा** एशियाई खेल (सीनियर श्रेणी) **अथवा** राष्ट्रमंडल खेल (सीनियर श्रेणी) **अथवा** युवा ओलंपिक **अथवा** चैंपियंस ट्रॉफी (हॉकी) **अथवा** थॉमस/उबर कप (बैडमिंटन) में देश का प्रतिनिधित्व किया हो।<br>**अथवा**<br>(B) राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप (जूनियर/सीनियर श्रेणी) **अथवा** एशियाई चैंपियनशिप/एशिया कप (जूनियर/सीनियर श्रेणी) **अथवा** दक्षिण एशियाई महासंघ खेल (सीनियर श्रेणी) **अथवा** यूएसआईसी (विश्व रेलवे) चैंपियनशिप (सीनियर श्रेणी) **अथवा** विश्व विश्वविद्यालय खेलों में कम-से-कम तृतीय (तीसरा) स्थान प्राप्त किया हो।<br>**अथवा**<br>(C) सीनियर/युवा/जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कम-से-कम तृतीय (तीसरा) स्थान प्राप्त किया हो।<br>**अथवा**<br>(D) भारतीय ओलंपिक संघ(Indian Olympic Association) के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में कम-से-कम तृतीय (तीसरा) स्थान प्राप्त किया हो।<br>**अथवा**<br>(E) भारतीय विश्वविद्यालय संघ (Association of Indian Universities - AIU) के तत्वावधान में आयोजित अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय चैंपियनशिप में कम-से-कम तृतीय (तीसरा) स्थान प्राप्त किया हो।<br>**अथवा**<br>(F) फेडरेशन कप चैंपियनशिप (सीनियर वर्ग) में प्रथम (पहला) स्थान प्राप्त किया हो। |
| 3 | **लेवल 1** | (A) राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप (जूनियर/सीनियर श्रेणी) **अथवा** एशियाई चैंपियनशिप/एशिया कप (जूनियर/सीनियर श्रेणी) **अथवा** दक्षिण एशियाई महासंघ खेल (सीनियर श्रेणी) **अथवा** यूएसआईसी (विश्व रेलवे) चैंपियनशिप (सीनियर श्रेणी) **अथवा** विश्व विश्वविद्यालय खेलों में प्रतिनिधित्व किया हो।<br>**अथवा**<br>(B) फेडरेशन कप चैंपियनशिप (सीनियर वर्ग) में कम-से-कम तृतीय (तीसरा) स्थान प्राप्त किया हो।<br>**अथवा**<br>(C) केवल सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में किसी राज्य या समकक्ष इकाई का प्रतिनिधित्व किया हो और कम-से-कम 8वां स्थान प्राप्त किया हो। |

### 3.4 केवल विशिष्ट खेल विधाओं के लिए अतिरिक्त स्वीकार्य खेल उपलब्धि पात्रता मानदंड

**3.4.1 एथलेटिक्स (Athletics):-**

राष्ट्रीय अंतर-राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रदर्शन को वेतन स्तर 3/2 (7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार) और उससे नीचे के पदों पर भर्ती के लिए भी विचार किया जा सकता है।

**एथलेटिक्स (Athletics):**

ओपन नेशनल चैंपियनशिप (सीनियर), इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप (सीनियर) और एशियाई चैंपियनशिप (सीनियर) में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को भी वेतन स्तर 5/4 (7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार) और उससे नीचे के पदों पर भर्ती के लिए विचार किया जा सकता है।

**3.4.2 बॉल बैडमिंटन (Ball Badminton):**

दिनांक 17/12/2025 के बाद एवं अधिसूचना के दिनांक तक बीबीएफआई (BBFI) या इसकी संबद्ध इकाइयों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में प्राप्त खेल उपलब्धियों को भर्ती के लिए मान्य माना जाएगा।

**3.4.3 बॉडी बिल्डिंग (Body Building):**

दिनांक 31/12/2021 के बाद एवं अधिसूचना के दिनांक तक इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन (IBBF) या इसकी संबद्ध इकाइयों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में प्राप्त खेल उपलब्धियों को मान्यता नहीं दी जाएगी। हालांकि, बॉडी बिल्डिंग खेल में मान्यता प्राप्त खेल उपलब्धियों के लिए भारतीय विश्वविद्यालय संघ (Association of Indian Universities) और अंतरराष्ट्रीय महासंघों द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र स्वीकार्य होंगे।

**3.4.4 बॉक्सिंग (Boxing):**

दिनांक 25.09.2016 के बाद एवं अधिसूचना के दिनांक तक अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में 'Youth' श्रेणी में खिलाड़ियों द्वारा प्राप्त उपलब्धियों को 'Junior' श्रेणी की उपलब्धियों के स्थान पर माना जाएगा।

**3.4.5 क्रिकेट(पुरुष एवं महिला):**

| वेतनस्तर | न्यूनतमखेलमानदंड |
|---|---|
| **जी पी - 2000/1900 (लेवल 3/2)** | **i)सीनियर/अंडर-23/अंडर-19 अखिल भारतीय अंतर-राज्य समूह चैंपियनशिप (प्लेट ग्रुप को छोड़कर) में क्वार्टर फाइनलिस्ट रहे हों।**<br>**अथवा**<br>**(ii)सीनियर/अंडर/23-अंडर 19-अखिलभारतीयअंतर-क्षेत्रीयचैम्पियनशिपमेंभागीदारी।**<br>**अथवा**<br>**(iii)सीनियर/अंडर/23-अंडर 19-चैलेंजरट्रॉफीमेंभागीदारी।** |

**3.4.6 हैंडबॉल (पुरुष एवं महिला):**

दिनांक 05.09.2023 के बाद एवं अधिसूचना के दिनांक तक हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया या इसकी संबद्ध इकाइयों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में भागीदारी एवं पदक विजेता प्रदर्शनको भर्ती के लिए मान्य नहीं माना जाएगा। हालांकि, हैंडबॉल (पुरुष एवं महिला)खेल में मान्यता प्राप्त खेल उपलब्धियों के लिएएसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (AIU) तथाअंतरराष्ट्रीय महासंघों (International Federations) द्वारा जारी प्रमाणपत्र स्वीकार्य होंगे।

**3.4.7 हॉकी (पुरुष):**

वेतन स्तर-3/2 (Pay Level-3/2) के पदों पर भर्ती के लिए निम्नलिखित उपलब्धियों पर भी विचार किया जा सकता है:-

(a) चार या अधिक देशों की भागीदारी वालेअंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट (सीनियर या जूनियर वर्ग)में भागीदारी को भी भर्ती के लिए मान्य माना जा सकता है।

(b) सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिपमेंसेमीफाइनलिस्टरहने की उपलब्धि पर भी विचार किया जा सकता है।

**हॉकी (महिला):**

वेतन स्तर-3/2 (Pay Level-3/2) के पदों पर भर्ती के लिए निम्नलिखित उपलब्धि पर भी विचार किया जा सकता है:-

चार या अधिक देशों की भागीदारी वाले अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में कम-से-कम द्वितीय (दूसरा) स्थान प्राप्त किया हो।

**3.4.8 वॉलीबॉल (महिला):**

दिनांक 02/01/2017 के बाद एवं अधिसूचना के दिनांक तक वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया या इसकी संबद्ध इकाइयों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में प्राप्त खेल उपलब्धियों को भर्ती के लिए मान्य नहीं माना जाएगा। हालांकि, वॉलीबॉल खेल में मान्यता प्राप्त खेल उपलब्धियों के लिए भारतीय विश्वविद्यालय संघ (Association of Indian Universities) और अंतरराष्ट्रीय महासंघों द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र स्वीकार्य होंगे।

**3.4.9 पावरलिफ्टिंग (पुरुष एवं महिला):**

दिनांक 03/10/2017 के बाद एवं अधिसूचना के दिनांक तक इंडियन पावरलिफ्टिंग फेडरेशन (IPF) या इसकी संबद्ध इकाइयों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में प्राप्त खेल उपलब्धियों को भर्ती के लिए मान्य नहीं माना जाएगा। हालांकि, पावरलिफ्टिंग खेल में मान्यता प्राप्त खेल उपलब्धियों के लिए भारतीय विश्वविद्यालय संघ (Association of Indian Universities) और अंतरराष्ट्रीय महासंघों द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्रों पर विचार किया जाएगा।

**3.4.10 भारोत्तोलन (Weightlifting) (पुरुष एवं महिला):**

दिनांक 01/06/2025 से प्राप्त भारोत्तोलन की खेल उपलब्धियोंको नई संशोधितशरीर भार श्रेणियों (Updated New Body-weight Categories) के अनुसार मान्य माना जाएगा।

**3.4.11 कुश्ती (Wrestling):**

दिनांक 10.03.2025 के बाद एवं अधिसूचना के दिनांक तक भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) या इसकी संबद्ध इकाइयों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओंमें प्राप्त खेल उपलब्धियों के लिए जारी प्रमाणपत्रों को भर्ती के लिए मान्य माना जाएगा।

| | | |
|---|---|---|
| **टिप्पणी** | 1 | सभी चैंपियनशिप मान्यता प्राप्तअंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेल महासंघोंके तत्वावधान में आयोजित होनी चाहिए तथा उन्हेंरेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड (RSPB) द्वारा भी मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। जिस राष्ट्रीय चैंपियनशिप के आयोजन के समय संबंधित खेल महासंघ कोयुवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय (MoYAS) से मान्यता प्राप्त नहीं थी, उस महासंघ द्वारा जारी राष्ट्रीय चैंपियनशिप प्रमाणपत्र के आधार पर कोई भी भर्ती नहीं की जाएगी। |
| | 2 | यदिलेवल-5/4 (ग्रेड पे ₹2800/2400) के अंतर्गत भर्ती हेतु निर्धारित 05 पदोंके लिए कोई वैध आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो इन पाँच पदों कोलेवल-3/2 (ग्रेड पे ₹2000/1900) में निम्नीकृत (डाउनग्रेड) कर दिया जाएगा। इसके पश्चात इन पदों का उपयोग इस ग्रेड पे के लिए विज्ञापित खेल स्पर्धाओं (इवेंट्स) में उपयुक्त पाए गए उम्मीदवारों की भर्ती के लिए किया जाएगा। |
| | 3 | जो खिलाड़ी उच्च ग्रेड पे के लिए निर्धारित खेल पात्रता को पूरा करते हैं (नॉर्म्स स्पोर्ट्स), लेकिन उन्होंने निम्न ग्रेड पे की रिक्तियों के लिए आवेदन किया है, उन्हें भी भर्ती के लिए विचार किया जा सकता है। |
| | 4 | ऐसे खिलाड़ियों से एकलिखित घोषणा-पत्र (Undertaking) लिया जाएगा कि वे रेलवे में नियुक्ति प्राप्त करने के बाद, रेलवे में शामिल होने से पहले की अपनी खेल उपलब्धियों के आधार परउच्च ग्रेड पेका कोई दावा नहीं करेंगे। |
| | 5 | किसी खिलाड़ी को केवल उसी खेल/स्पर्धा/स्थिति (Event/Position/Game) में भर्ती के लिए विचार किया जाएगा, जिसमें उसके पास मान्यता प्राप्त खेल मानदंड (Recognized Sports Norms) उपलब्ध हों। |

| | | |
|---|---|---|
| | 6 | उम्मीदवारों का चयन नियुक्ति के लिए तभी किया जाएगा, जब वे WRSA टीम में उपयुक्त पाए जाएंगे। |
| | 7 | केवल पात्र (Eligible) एवं अनंतिम रूप से पात्र (Provisionally Eligible) उम्मीदवारों को ही निर्धारित तिथि पर दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification) में उपस्थित होने की अनुमति होगी। जो उम्मीदवार निर्धारित तिथि पर दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं होंगे, उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा तथा उन्हें ट्रायल में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। |

**3.4.12इसविज्ञापनकेतहतभर्तीकेलिएमान्यताप्राप्तजूनियरनेशनलचैंपियनशिपकीलिस्ट-:**

| क्र. सं. | खेल विधा | वर्ग | मान्यता प्राप्त जूनियर नेशनल चैंपियनशिप की जानकारी | |
|---|---|---|---|---|
| | | | आयु वर्ग | चैंपियनशिप का नाम |
| 1 | एथलेटिक्स | पुरुष | अंडर-20 | जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप |
| 2 | एथलेटिक्स | महिला | अंडर-20 | जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप |
| 3 | बास्केटबॉल | पुरुष | अंडर-18 | जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप |
| 4 | बास्केटबॉल | महिला | अंडर-18 | जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप |
| 5 | बॉल बैडमिंटन | पुरुष | अंडर-20 | जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप |
| 6 | मुक्केबाजी (Boxing) | पुरुष | अंडर-17 | जूनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप |
| 7 | मुक्केबाजी (Boxing) | महिला | अंडर-17 | जूनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप |
| 8 | बॉडी बिल्डिंग | पुरुष | अंडर-21 | जूनियर राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप |
| 9 | क्रिकेट | पुरुष | अंडर-25 | कर्नल सी. के. नायडू ट्रॉफी (अंतर-राज्य चैंपियनशिप) |
| | | | अंडर-19 | कूच बिहार ट्रॉफी (अंतर-राज्य चैंपियनशिप) |
| | | | अंडर-19 | विनू मांकड़ ट्रॉफी (एक दिवसीय सीमित ओवर अंतर-राज्य चैंपियनशिप) |
| | | | अंडर-19 | विजय हजारे ट्रॉफी (एक दिवसीय सीमित ओवर अखिल भारतीय अंतर-क्षेत्रीय चैंपियनशिप) |
| 10 | क्रिकेट | महिला | अंडर-19 | अंतर-राज्य अखिल भारतीय नॉकआउट / अंतर-राज्य क्षेत्रीय टूर्नामेंट (एक दिवसीय सीमित ओवर चैंपियनशिप) |
| | | | अंडर-19 | अखिल भारतीय अंतर-क्षेत्रीय टूर्नामेंट (एक दिवसीय सीमित ओवर चैंपियनशिप) |
| 11 | साइक्लिंग | पुरुष | अंडर-19 | राष्ट्रीय साइक्लिंग चैंपियनशिप (सभी आयु वर्गों के लिए) |
| 12 | डाइविंग | पुरुष | अंडर-18 | जूनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक्स (डाइविंग) चैंपियनशिप |
| 13 | डाइविंग | महिला | अंडर-18 | जूनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक्स (डाइविंग) चैंपियनशिप |
| 14 | फुटबॉल | पुरुष | अंडर-19 | बी. सी. रॉय ट्रॉफी के लिए जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप |
| 15 | जिम्नास्टिक | पुरुष | अंडर-17 | जूनियर राष्ट्रीय जिम्नास्टिक चैंपियनशिप |
| 16 | हॉकी | पुरुष | अंडर-21 | जूनियर राष्ट्रीय (अंडर-21) हॉकी चैंपियनशिप |
| 17 | हॉकी | महिला | अंडर-19 | जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप |
| 18 | हैंडबॉल | पुरुष | अंडर-19 | जूनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप |
| 19 | हैंडबॉल | महिला | अंडर-19 | जूनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप |
| 20 | खो-खो | पुरुष | अंडर-18 | जूनियर राष्ट्रीय खो-खो चैंपियनशिप |
| 21 | खो-खो | महिला | अंडर-18 | जूनियर राष्ट्रीय खो-खो चैंपियनशिप |
| 22 | पावरलिफ्टिंग | पुरुष | अंडर-23 | जूनियर राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप |
| 23 | पावरलिफ्टिंग | महिला | अंडर-23 | जूनियर राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप |
| 24 | वॉलीबॉल | महिला | अंडर-19 | जूनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | तैराकी (Swimming) | पुरुष | अंडर-17 | जूनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक्स (तैराकी) चैंपियनशिप |
| 26 | वॉटर पोलो | पुरुष | अंडर-18 | जूनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक्स (वॉटर पोलो) चैंपियनशिप |
| 27 | भारोत्तोलन(Weightlifting) | पुरुष | अंडर-20 | जूनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप |
| 28 | भारोत्तोलन(Weightlifting) | महिला | अंडर-20 | जूनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप |
| 29 | कुश्ती (फ्री स्टाइल) | पुरुष | अंडर-20 | जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप |

1. उपर्युक्त सभी चैंपियनशिप मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य खेल महासंघों के तत्वावधान में आयोजित की गई हों तथा उन्हें रेलवे खेल प्रोत्साहन बोर्ड (RSPB) द्वारा मान्यता प्राप्त हो।
2. उपर्युक्त मानदंडों के लिए केवल सीनियर राष्ट्रीय एवं जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप को ही विचार में लिया जाएगा। ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएँ, उत्सव प्रतियोगिताएँ तथा अन्य समान प्रकार के टूर्नामेंटों को विचार में नहीं लिया जाएगा।
3. खेल उपलब्धियों का मूल्यांकन **01/04/2024**से अधिसूचना जारी होने की तिथि तक आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी के आधार पर किया जाएगा।

## 4. आवेदन शुल्क:-

| | | |
|---|---|---|
| (i) | उप पैरा-ii)में नीचे उल्लिखित अभ्यर्थियों को छोड़कर सभी अभ्यर्थियों के लिए | **₹500/- (रुपये पाँच सौ मात्र)** शुल्क देय होगा, जिसमें से अधिसूचना के अनुसार पात्र पाए जाने वाले तथा वास्तव में ट्रायल में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को बैंक शुल्क की कटौती के पश्चात **₹400/- (रुपये चार सौ मात्र)** वापस किए जाएंगे। |
| (ii) | अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) / भूतपूर्व सैनिक (Ex-Servicemen) / दिव्यांगजन (Persons with Disability) /महिला / अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूप से पिछड़ावर्ग (Economically Backward Class - EBC)* के अभ्यर्थियों के लिए।** | **₹250/- (रुपये दो सौ पचास मात्र)** शुल्क देय होगा। अधिसूचना के अनुसार पात्र पाए जाने वाले तथा वास्तव में ट्रायल में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को बैंक शुल्क की कटौती के पश्चात उक्त शुल्क वापस कर दिया जाएगा।<br>इस श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता की भली-भांति जाँच कर लेनी चाहिए। जो उम्मीदवार पात्र नहीं हैं, फिर भी आवेदन करते हैं, उनके संबंध में जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। |

**4.1**आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के भाग के रूप में उपलब्ध कराए गए भुगतान गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा।

**4.2**आवेदन पत्र में दर्ज विवरणों की शुद्धता सुनिश्चित करने के पश्चात अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रणाली से एकीकृत भुगतान गेटवे के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके बाद आवेदन में किसी भी प्रकार के परिवर्तन/संपादन (Edit) की अनुमति नहीं होगी।

**4.3**शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / इंटरनेट बैंकिंग / यूपीआई आदि के माध्यम से स्क्रीन पर मांगी गई आवश्यक जानकारी प्रदान करके किया जा सकता है। ऑनलाइन भुगतान से संबंधित लेन-देन शुल्क, यदि कोई हो, अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा।

**4.4**लेन-देन सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर अभ्यर्थी द्वारा दर्ज विवरणों सहित एक ई-रसीद (e-Receipt) प्राप्त होगी, जिसे अभ्यर्थी द्वारा सुरक्षित रखना तथा उसका प्रिंटआउट प्राप्त कर अपने पास रखना आवश्यक होगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया गया हो। शुल्क भुगतान के बिना प्राप्त आवेदन पत्रों को बिना किसी सूचना के सीधे निरस्त कर दिया जाएगा।

## 5 शुल्क में छूट(Fee Exemptions)

*a)* अल्पसंख्यक *(Minorities)*से अभिप्राय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी (जरथुस्त्री) तथा जैन समुदायों से है, परीक्षा शुल्क में छूट/वापसी का दावा करने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरते

समय**अनुलग्नक-'A'**के अनुसार स्व-घोषणा पत्र (Self-Declaration) अपलोड करना होगा। दस्तावेज़ सत्यापन के समय ऐसे अभ्यर्थियों को, जो परीक्षा शुल्क में छूट का दावा कर रहे हैं, यह प्रमाणित करने हेतु कि वे उपर्युक्त अल्पसंख्यक समुदायों में से किसी एक से संबंधित हैं, गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर**'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा-पत्र' (Affidavit)**भी प्रस्तुत करना होगा। यदि दस्तावेज़ सत्यापन के समय उक्त शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

b)**आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC)**से अभिप्राय ऐसे अभ्यर्थियों से है जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय**₹50,000/- (पचास हजार रुपये)**से कम है, ईबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरते समय**अनुलग्नक-'B'**के अनुसार आय प्रमाण-पत्र अथवा**बीपीएल (BPL) कार्ड**अथवा**इज्जत एमएसटी (Izzat MST)**, जो नीचे उल्लिखित किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, अपलोड करना होगा। उक्त प्रमाण-पत्र की मूल प्रति दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

**आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC) की पहचान हेतु आय प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी निम्नलिखित हैं :**

(i) जिला मजिस्ट्रेटअथवातहसीलदार स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी।

(ii) लोकसभा के वर्तमान सांसद, अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए।

(iii) बीपीएल (BPL) कार्डअथवा केंद्र सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी कोई अन्य प्रमाण-पत्र, अथवारेलवे द्वारा जारी इज्जत एमएसटी (Izzat MST)।

(iv) केंद्रीय मंत्री, देश के किसी भी भाग के किसी भी व्यक्ति को ईबीसी श्रेणी के अंतर्गत विचार किए जाने हेतु अनुशंसा कर सकते हैं।

(v) राज्यसभा के वर्तमान सांसद, उस जिले के व्यक्तियों के लिए जिसमें वे सामान्यतः निवास करते हैं।

## 6. चयन प्रक्रिया

सभी पात्र अभ्यर्थियों को ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा। ट्रायल के उपरांत केवलफिट (Fit)घोषित अभ्यर्थियों (अर्थात खेल कौशल, शारीरिक दक्षता तथा ट्रायल के दौरान कोच के अवलोकन के लिए निर्धारित(**40 अंकों में से 25 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों**) का ही भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण हेतु मूल्यांकन किया जाएगा।ट्रायल समिति द्वाराअनफिट (Unfit)घोषित अभ्यर्थियों का भर्ती समिति द्वारा आगे कोई मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

6.1 **अंकों का वितरण निम्नानुसार होगा**:

| | विवरण | अधिकतमअंक |
|---|---|---|
| (i) | निर्धारित मानदंडों के अनुसार मान्यता प्राप्त खेल उपलब्धियों के मूल्यांकन के लिए | 50 अंक |
| (ii) | ट्रायल के दौरान खेल कौशल, शारीरिक फिटनेस एवं कोच के अवलोकन के मूल्यांकन हेतु। | 40 अंक |
| (iii) | शैक्षणिक योग्यता | 10 अंक |
| | **कुल** | **100 अंक** |

6.2 खुली अधिसूचना के माध्यम से खेल कोटा के अंतर्गत **लेवल-5/4, लेवल-3/2 एवं लेवल-1**पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता अंक निम्नवत् होंगे:-

| क्र.सं. | वेतन स्तर | ग्रेडपे | न्यूनतमयोग्यताअंक |
|---|---|---|---|
| 1 | लेवल-5/4 | 2400/2800 | 70 अंक |
| 2 | लेवल-3/2 | 1900/2000 | 65अंक |
| 3 | लेवल-1 | 1800 | 60अंक |

**नोट :** नियुक्ति का प्रस्ताव पूर्णतःमेरिट (योग्यता क्रम)के आधार पर दिया जाएगा। यदि एक से अधिक खिलाड़ियों द्वारा समान अंक प्राप्त किए जाते हैं, तो मेरिट निर्धारित करने के लिएकम आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयतादी जाएगी।

## 7. <u>ऑनलाइनआवेदन</u>

7.1 अभ्यर्थियों को www.rrc-wr.com वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदनकरना होगा।

7.2 अभ्यर्थियों को खेल कोटा के अंतर्गत भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए RRC/WR वेबसाइट www.rrc-wr.com पर लॉग-इन करना होगा तथा अपनी व्यक्तिगत जानकारी/बायोडाटा आदि सावधानीपूर्वक भरना होगा।

**<u>नोट-I</u>**अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड होना चाहिए। पंजीकरण के समय अभ्यर्थियों को अपना 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर भरना होगा।जिन अभ्यर्थियों के पास आधार संख्या नहीं है, परंतु उन्होंने आधार के लिए नामांकन कराया है और अभी तक आधार कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है, वे आधार नामांकन पर्ची पर मुद्रित 28 अंकों की आधार नामांकन आईडी दर्ज कर सकते हैं।अभ्यर्थियों को चयन ट्रायल के समय मूल आधार कार्ड अथवा उपर्युक्त उल्लेखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा।

**<u>नोट-II</u>**अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों एवं खेल प्रमाण-पत्रों में दर्ज विवरण के अनुसार बिल्कुल समान हो।दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान यदि किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है, तो इस अधिसूचना के अंतर्गत उनकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।यदि किसी अभ्यर्थी ने अपना नाम परिवर्तित किया है, तो उसे चयन ट्रायल/दस्तावेज़ सत्यापन के समय राजपत्र अधिसूचना अथवा अन्य लागू वैधानिक दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा।ऐसे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में अपना परिवर्तित नाम दर्शाना चाहिए। तथापि, अन्य सभी विवरण शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों, जन्म तिथि संबंधी अभिलेखों तथा खेल प्रमाण-पत्रों में दर्ज विवरणों के समान होने चाहिए।नाम परिवर्तन की तिथि ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व की होनी चाहिए।

**<u>नोट:III-</u>**अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपना सक्रिय मोबाइल नंबर तथा वैध ई-मेल आईडी दर्ज करें और उन्हें पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान सक्रिय बनाए रखें, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण सूचनाएँ/संदेश ई-मेल अथवा एसएमएस के माध्यम से भेजे जाएंगे तथा वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाएंगे।ई-मेल, एसएमएस अथवा वेबसाइट पर अपलोड की गई ऐसी सूचनाओं को अभ्यर्थियों द्वारा पढ़ लिया गया माना जाएगा तथा इसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी।

7.3 एक से अधिकखेल विधाओंके लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रत्येक खेल विधा हेतु पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा प्रत्येक आवेदन के साथ पृथक शुल्क का भुगतान करना होगा। इसी प्रकार, एक से अधिकवेतन स्तरोंके लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को भी प्रत्येक वेतन स्तर हेतु पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा प्रत्येक आवेदन के साथ पृथक शुल्क का भुगतान करना होगा।

7.4 जो अभ्यर्थी किसी एक ही खेल विधा के लिए नाम, पिता का नाम, समुदायफोटो (चेहरा), शैक्षणिक एवंया / तकनीकी योग्यता, ईमेल आईडी-, मोबाइल नंबर अथवा अन्य विवरणों में भिन्नता के साथ एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करेंगे, उनके सभी आवेदन बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिए जाएंगे।

7.5 ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्येक अभ्यर्थी को एकपंजीकरण संख्याप्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के आगामी चरणों तथारेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिम रेलवे( **RRC/WR)**के साथ होने वाले पत्राचार हेतु अपनी पंजीकरण संख्या सुरक्षित रखें।

**<u>नोट-1</u>:**अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की भीड़भाड़ से बचने हेतु अपने हित में ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करें, जिससे अंतिम दिनों में इंटरनेट अथवा वेबसाइट पर अत्यधिक भार के कारणरेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिम रेलवे (RRC/WR) की वेबसाइट पर लॉगिन करने मे संभावित कठिनाई अथवा विफलता से बचा जा सके।

**7.6**अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति अथवा किसी भी प्रमाणपत्र की प्रति डाक द्वारारेलवे भर्तीप्रकोष्ठ, पश्चिम रेलवे (RRC-WR) को भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता पर केवल ऑनलाइन आवेदन में उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर विचार किया जाएगा, जो बाद में सत्यापन के अधीन

होगी।यदि ऑनलाइन आवेदन में दर्ज किसी भी विवरण और अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रमाणपत्रों मे किसी भी प्रकार की विसंगति पाई जाती है, तो अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण मे अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

7.7 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति सुरक्षित रख (प्रिंटआउट) लें, जिसे चयन ट्रायल के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

**8.<u>स्कैन किया हुआ फोटो/ फोटो की सॉफ्ट कॉपी</u>**

उम्मीदवारों को अपना रंगीन फोटोग्राफ (आकार 3.5 सेमी × 3.5 सेमी, जो आवेदन की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना न हो, JPG/JPEG प्रारूप में, 100 DPI तथा फाइल का आकार (20 KB से 70 KB)के बीच हो) अपलोड करना आवश्यक है। फोटो में उम्मीदवार का सामने से स्पष्ट चेहरा दिखाई देना चाहिए तथा उसने टोपी और धूप का चश्मा नहीं पहना होना चाहिए।उम्मीदवार ध्यान दें कि आरआरसी/पश्चिम रेलवे (RRC/WR) किसी भी चरण पर पुराना अथवा अस्पष्ट फोटो अपलोड करने या आवेदन पत्र में अपलोड किए गए फोटो और उम्मीदवार के वास्तविक शारीरिक स्वरूप में किसी महत्वपूर्ण अंतर पाए जाने पर आवेदन कोअस्वीकार कर सकता है।उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड किए गए उसी फोटो की दो अतिरिक्त प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखें तथा दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification) के समय उन्हें प्रस्तुत करें।

**9. <u>स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर/हस्ताक्षर की सॉफ्ट कॉपी</u>**

उम्मीदवारों को अपने हस्ताक्षर भी अपलोड करना आवश्यक है (आकार 3.5 सेमी × 2.5 सेमी, JPG/JPEG प्रारूप, 100 DPI तथा फाइल का आकार 20 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए)। स्कैन किए गए हस्ताक्षर ब्लॉक/बड़े अक्षरों (Capital Letters) में या अलग-अलग अक्षरों (Disjoined Letters) में नहीं होने चाहिए।

**10. <u>महत्वपूर्ण निर्देश</u>**

10.1 **आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवार अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें:**- उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। इस अधिसूचना में अधिसूचित पद के लिए उम्मीदवारों की पात्रता का निर्धारण उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में प्रदान की गई जानकारी के आधार पर किया जाएगा।यदि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अथवा उसके पश्चात यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी असत्य है, या उम्मीदवार ने किसी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया है, अथवा उम्मीदवार किसी अन्य कारण से संबंधित पद/पदों के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी।

10.2 ट्रायल के दिन जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, खेल उपलब्धियों आदि से संबंधित मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मूल दस्तावेज प्रस्तुत न करने की स्थिति में उम्मीदवार को ट्रायल में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।अंग्रेजी या हिंदी के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में जारी प्रमाणपत्रों के साथ उनका अभिप्रमाणित (Attested) हिंदी/अंग्रेजी अनुवाद संलग्न होना चाहिए। सभी दस्तावेजों की छायाप्रतियां (Photocopies) स्वप्रमाणित (Self-Attested) होनी चाहिए।चयन ट्रायल में भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता (TA), दैनिक भत्ता (DA) अथवा आवास सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।आवेदकों को अपना खेल किट (Sports Kit) तथा पासपोर्ट आकार के चार फोटोग्राफ साथ लाने होंगे।चयन ट्रायल के दौरान उम्मीदवारों को 2-3 दिनों तक रुकना पड़ सकता है, जिसके लिए उन्हें अपने रहने एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं स्वयं करनी होंगी।

10.3 आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात उम्मीदवारों को अल्प सूचना पर ट्रायल आदि में उपस्थित होने के लिए तैयार रहना चाहिए।चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति पश्चिम रेलवे के किसी भी स्थान पर की जा सकती है।

10.4 सामान्यतः, एक रेल सेवक अपनी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान उसी रेलवे अथवा रेलवे स्थापना में कार्यरत रहेगा, जहाँ उसकी प्रथम नियुक्ति की गई है, और उसे किसी अन्य रेलवे अथवा अन्य स्थापना में स्थानांतरण का अधिकारस्वरूप दावा प्राप्त नहीं होगा।तथापि, सेवा की आवश्यकता (Exigencies of Service) की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह रेल सेवक का स्थानांतरण किसी अन्य विभाग, मंडल/इकाई,

रेलवे अथवा रेलवे स्थापना, जिसमें भारत के भीतर या बाहर स्थित कोई परियोजना भी सम्मिलित है, में कर सके।

10.5 चयनित उम्मीदवारों को उस पद के लिए निर्धारित प्रशिक्षण, जहाँ भी लागू हो, अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा।अंतिम रूप से नियुक्त किए गए चयनित पुरुष उम्मीदवार, प्रादेशिक सेना (Territorial Army) की रेलवे इंजीनियर्स यूनिट में सक्रिय सेवा (Active Service) हेतु उत्तरदायी होंगे।

10.6 प्रारंभिक नियुक्ति पर वेतनमान के संबंधित स्तर (Pay Level) का न्यूनतम मूल वेतन तथा उस समय लागू अन्य स्वीकार्य भत्ते देय होंगे। प्रशिक्षण अवधि के दौरान केवल नियमानुसार देय स्टाइपेंड (प्रशिक्षण भत्ता) का भुगतान किया जाएगा।जहाँ आवश्यक हो, उम्मीदवारों को सुरक्षा जमा (Security Deposit) जमा करनी पड़ सकती है तथा क्षतिपूर्ति बंधपत्र (Indemnity Bond) निष्पादित करना पड़ सकता है।चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति के समय 5 वर्ष की अवधि का "सेवा बंधपत्र (Service Bond)" प्रस्तुत करना होगा।

10.7 इस अधिसूचना में दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या अस्थायी (Provisional) है तथा रेलवे प्रशासन की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार बाद में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।रेलवे प्रशासन अपने विवेकाधिकार से अधिसूचित रिक्तियों को निरस्त करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है तथा इस संबंध में लिया गया उसका निर्णय अंतिम होगा और सभी संबंधित व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगा।

10.8 चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति, रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित आवश्यक चिकित्सीय फिटनेस परीक्षण (Medical Fitness Test) में उत्तीर्ण होने, शैक्षणिक एवं जाति/समुदाय प्रमाण-पत्रों के अंतिम सत्यापन तथा उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त एवं चरित्र (Antecedents/Character) के सत्यापन के अधीन होगी।

10.9 उम्मीदवारों को उन्हें आवंटित पद के लिए निर्धारित उपयुक्त चिकित्सीय परीक्षण (Medical Examination) में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

10.10 एक से अधिक खेल/स्पर्धा (Game/Event) के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को प्रत्येक खेल/स्पर्धा हेतु अलग-अलग आवेदन पत्र तथा पृथक-पृथक आवेदन शुल्क जमा करना होगा।

10.11वे उम्मीदवार जो पहले से किसी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSU) अथवा सरकारी संगठन में कार्यरत हैं, उन्हें ट्रायल के समय अपने नियोक्ता द्वारा जारी "अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Objection Certificate - NOC)" प्रस्तुत करना होगा।

10.12 भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में उम्मीदवारों का प्रवेश केवल अस्थायी (Provisional) होगा तथा यह निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा।उम्मीदवारों को ई-कॉल लेटर (e-Call Letter) जारी किए जाने मात्र से यह नहीं माना जाएगा कि उनकी उम्मीदवारी को आरआरसी-पश्चिम रेलवे (RRC-WR) द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है।

10.13 मान्यता प्राप्त महासंघों/संघों/विश्वविद्यालयों द्वारा टीम/समूह/रिले प्रतियोगिताओं के खिलाड़ियों को जारी किए गए प्रमाण-पत्रों में इस भर्ती के लिए विचाराधीन प्रतियोगिता में मैदान पर उनकी वास्तविक भागीदारी (Actual Participation in the Field of Play) का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।प्रमाण-पत्र में खेले गए मैचों का विवरण तथा उपलब्ध परिणाम (यदि कोई हो) भी स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए।

10.14 खेल कोटा के अंतर्गत भर्ती किए गए खिलाड़ी की सेवा समाप्त कर दी जाएगी, यदि भर्ती के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी अथवा दस्तावेज किसी भी चरण में गलत, असत्य अथवा फर्जी पाए जाते हैं।

10.15 अभ्यर्थियों का रोजगार हेतु चयन केवल तभी किया जाएगा, जब वे पश्चिम रेलवे खेल संघ (Western Railway Sports Association) की टीम के लिए उपयुक्त एवं सक्षम पाए जाएँगे।

10.16 पात्रता, आवेदन की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति आदि से संबंधित सभी मामलों में चयनसमिति का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थी पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध मे किसी प्रकार की पूछताछ अथवा पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएंग।

**11 <u>अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़ (स्पष्ट रूप से पठनीय होने चाहिए)</u>**

11.1 अधिसूचना के पैरा 3.2 में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अथवा उसके समकक्ष की अंकतालिका/प्रमाण-पत्र की स्कैन की हुई प्रति।

11.2 01/04/2024से अधिसूचना जारी होने की तिथि तक प्राप्त मान्यता प्राप्त खेल उपलब्धियों के प्रमाण-पत्र।

11.3 जन्मतिथि के प्रमाण हेतु प्रमाण-पत्र (एसएससी प्रमाण-पत्र अथवा जन्मतिथि अंकित समकक्ष अंकतालिका)।

11.4 अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्गके अभ्यर्थियों के लिए, जहाँ लागू हो, नीचे पैरा 13.3 में निर्धारित अनुसार जाति प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति।-

11.5 **अनुलग्नक "E"**में दिए गए प्रारूप के अनुसार ओबीसी घोषणा पत्र-

11.6 **अनुलग्नक "A"**में दिए गए प्रारूप के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा पत्र-

11.7ईबीसी (EBC) श्रेणी के अंतर्गत आवेदन शुल्क में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आय प्रमाण-पत्र की स्कैन की हुई प्रति। ईबीसी प्रमाण-पत्र **(अनुलग्नक "B")**में दिए गए प्रारूप के अनुसारअपलोड किया जाना आवश्यक है।

**12 <u>अमान्य आवेदन / आवेदन अस्वीकृति</u>**

**अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व सभी निर्देशों को भलीभाँति पढ़ लें। -:निम्नलिखित में से एक या अधिक कारणों से आवेदन अस्वीकृत किए जा सकते हैं**

12.1 स्कैन किए गए हस्ताक्षर के बिना आवेदन अथवा बड़े अक्षरों अलग अक्षरों-में किए गए स्कैन किए गए हस्ताक्षर वाला आवेदन।

12.2 स्कैन किए गए फोटोग्राफ के बिना आवेदन।

12.3 स्कैन किए गए फोटोग्राफ सहित आवेदन, किन्तु फोटोग्राफ में गॉगल्सया टोपी पहने होने, विकृत होने, आकार में अत्यंत छोटा होने अथवा पहचान योग्य न होने की स्थिति में।

12.4 आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक एवं खेल योग्यता का अभाव।

12.5अधिक आयु अथवा न्यून आयु होना, जन्मतिथि अंकित न करना अथवा गलत जन्मतिथि अंकित करना।

12.6 अभ्यर्थी का नाम प्रतिबंधित अभ्यर्थियों की सूची में होना।

12.7 एकही पद के लिए एकाधिक आवेदन प्रस्तुत करना अथवा विभिन्न विवरणों के साथ आवेदन करना।

12.9 दो या अधिक खेलों स्पर्धाओंके लिए एक ही आवेदन प्रस्तुत करना।

12.10 किसी भी अन्य प्रकार की अनियमितता।

**<u>13. सामान्य नियम एवं शर्तें</u>**

13.1 किसी भी प्रकार की अनुशंसा अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर देगी।

13.2 अभ्यर्थियों को चयन ट्रायल के समय भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है।-

13.3 अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन के समय तहसीलदार से निम्न पद के न होने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र अपलोड करना होगा।ओबीसी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा **01/04/2026** अथवा उसके पश्चात जारी भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण-पत्र (OBC Non-Creamy Layer Certificate) भी अपलोड करना होगा।प्रमाण-पत्रों में जाति, निर्गमन तिथि आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए तथा उन पर जारीकर्ता प्राधिकारी की मुहर अंकित होनी चाहिए।एससी/एसटी अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप **अनुलग्नक 'C'**में तथा ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए **अनुलग्नक 'D'**में संलग्न है।ईबीसी (EBC) हेतु आय प्रमाण-पत्र का प्रारूप **अनुलग्नक 'B'**में तथा ईडब्ल्यूएस (EWS) प्रमाण-पत्र का प्रारूप **अनुलग्नक 'F'**में संलग्न है।

## 14. अन्य प्रावधान

14.1 चयन परीक्षण के समय अभ्यर्थी को अपने डाउनलोड किए गए आवेदन-पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी आगामी चरण में कोई भी दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि किसी भी चरण पर यह पाया जाता है कि आवेदन पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो आरआरसी/पश्चिम रेलवे (RRC/WR) को ऐसे आवेदन को अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है

14.2 पात्रता, आवेदन की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति, निःशुल्क पास जारी करने, चयन की पद्धति, ट्रायल के संचालन, चयनित अभ्यर्थियों को पद आवंटन आदि से संबंधित सभी मामलों में रेलवे प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में रेलवे प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की पूछताछ अथवा पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

14.3 रेलवे प्रशासन ईप्राप्त न होने के लिए किसी भी प्रकार से मेल या एसएमएस के विलंब से प्राप्त होने अथवा-पश्चिम रेलवे-प्राप्त करने के लिए आरआरसी (अपडेट) उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थियों को नियमित अद्यतन (RRC-WR) की आधिकारिक वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करना अनिवार्य है

14.4 नियुक्ति के लिए अनुशंसित अभ्यर्थी को रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित निर्धारित चिकित्सीय परीक्षण (Medical Examination/Fitness Test) उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह संबंधित पद के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए चिकित्सकीय रूप से पूर्णतः स्वस्थ (Medical Fit) है। केवल वे अभ्यर्थी, जो संबंधित पद के लिए निर्धारित चिकित्सीय मानकों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाएंगे, उन्हें ही नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा

14.5 रेलवे प्रशासन को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अनजाने में हुई त्रुटि अथवा चूक को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा त्रुटिवश नियुक्त किए गए किसी भी अभ्यर्थी को रेलवे सेवा से तत्काल हटाया जा सकता है।

14.6 आरआरसी को भर्ती की शर्तों एवं नियमों में समय-समय पर किए जाने वाले किसी भी आगामी परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन को सम्मिलित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

## 15. महत्वपूर्णसलाह

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिम रेलवे ने अपनी ओर से किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए किसी एजेंट या कोचिंग संस्थान को अधिकृत नहीं किया है। अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि वे किसी भी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा किए जाने वाले ऐसे भ्रामक दावों या प्रलोभनों के झांसे में न आएँ

**नोट** : **आवेदकों द्वारा गलत/भ्रामक जानकारी प्रदान करके अथवा अश्लील/आपत्तिजनक फोटोग्राफ या सामग्री अपलोड करके भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की हेराफेरी अथवा शरारत करने का प्रयास किए जाने पर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ आपराधिक कार्यवाही भी की जा सकती हैरेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर प्रभाव का उपयोग करने अथवा अनुचित एवं अनैतिक साधनों के माध्यम से नियुक्ति दिलाने का झूठा आश्वासन देकर आपको धोखा देने का प्रयास करने वाले दलालों एवं नौकरी दिलाने वाले गिरोहों (Job Racketeers) से सावधान रहें।रिश्वत देना और लेना, दोनों ही दंडनीय अपराध हैं। अतः ऐसे असामाजिक एवं बेईमान तत्वों से सावधान रहें तथा उनके जाल में न फँसें।अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आरआरसी–पश्चिम रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.rrc-wr.comका ही अनुसरण करें तथा असामाजिक तत्वों द्वारा बनाई गई फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहें।**

**अध्यक्ष(आरआरसी)**
**रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ**
**पश्चिम रेलवे**

**संलग्नक : अनुलग्नक' ए' ,'बी' ,'सी' ,'डी' ,'ई 'और' एफ'**

**अनुलग्नक'A'**

## अल्पसंख्यकसमुदायकेउम्मीदवारोंकेलिएघोषणा

मैं,.......................................................................................................................................................................................

.,यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ..................................................................................धर्म से संबंधित हूँ, जो कि एक अल्पसंख्यक समुदाय है। अतः मैं परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट का दावा करता/करती हूँ।मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि यदि मेरा चयन उपयुक्त पाया जाता है, तो दस्तावेज़ सत्यापन के समय गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विधिवत शपथपत्र (अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा-पत्र) प्रस्तुत करूँगा/करूँगी।

**उम्मीदवारकेहस्ताक्षर**

नामः **.............................................**

दिनांकः **.........................................**

स्थानः....................................

**अनुलग्नक 'B'**

**आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC) के उम्मीदवारों के लिए आय प्रमाण- पत्र**

**दस्तावेज़ सत्यापन के समय आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC) के अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क में छूट हेतु प्रस्तुत किया जाने वाला प्रपत्ररोजगार सूचना संख्या 01/2026**

प्रमाण: पत्र संख्या-...................................

1. उम्मीदवार का नाम :- ..............................................................................................................
2. पिता/पति का नाम :- ..............................................................................................................
3. आयु :- ..............................................................................................................................
4. आवासीय पता :- .....................................................................................................................
5. वार्षिक पारिवारिक आय
   (शब्दों एवं अंकों में) :- ..........................................................................................................

दिनांक :- .................................

जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर :- ...........................................

नाम :- ....................................................................................

जारीकर्ता प्राधिकारी की मुहर :- ..............................................

**<u>टिप्पणी :</u>**आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC) ऐसे अभ्यर्थियों को माना जाएगा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) से कम हो। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य से निम्नलिखित प्राधिकारी आय प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं :

1. जिला मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी।
2. लोकसभा के वर्तमान सदस्य (सांसद) अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए।
3. राज्यसभा के वर्तमान सदस्य (सांसद) उस जिले के व्यक्तियों के लिए जिसमें वे सामान्यतः निवास करते हैं।
4. केंद्रीय मंत्री, देश के किसी भी भाग के किसी भी व्यक्ति के लिए।

**अनुलग्नक' - C'**

## अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र

**भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप**

**.1**यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..........................................................................................................................................
श्री/श्रीमती के पुत्र/पुत्री ग्राम/नगर* ..........................................................................................................................................................
जिला/विभाग* .................................................... राज्य/केंद्र शासित प्रदेश* .................................................... के निवासी हैं, जो ....................................................
.जाति/जनजाति* से संबंधित हैं, जिसे निम्न के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है
@संविधान (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
@संविधान (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) (केंद्र शासित प्रदेश) आदेश, 1951
@[जैसा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूचियाँ (संशोधन) आदेश, 1956; बंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970; उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971; तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित किया गया है।]
@संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956.
@संविधान)अंडमानऔरनिकोबारद्वीपसमूह(अनुसूचितजनजातिआदेशदेना@1959,जैसासंशोधनद्वाराअनुसूचितजातिऔरअनुसूचितजनजातियाँआदेश
)संशोधन(कार्य.1976,
@संविधान) दादराऔरनगरहवेली (अनुसूचितजातिआदेश1962 ,
@संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
@संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
@संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967
@संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
@संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
@संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
@संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
@संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
@संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
@संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
@संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991@संविधान
(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन)अधिनियम,1991
@संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996
@संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
@संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002
@अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

2. आवेदनमेंअनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन व्यक्तियों के मामले में जो एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से दूसरे में प्रवास कर गए हैं।यह प्रमाणपत्र, जारी किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर प्रदान किया जाता है।
श्री/श्रीमती/कुमारी*................................................................................के पिता/माता,.........................................................ग्राम/नगर
......................................................., जिला/मंडल........................................................., राज्य/केंद्र शासितप्रदेश ...................................................... के निवासी हैं, जोउसजाति/जनजाति* सेसंबंधितहैं, जिसे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।यह प्रमाणपत्र ....................................................... द्वारा दिनांक ....................................................... को जारी किया गया है।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी* ..................................................................तथा/या उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/नगर* ............................... में निवास करता/करते हैं, जो ........................ जिला/मंडल* में स्थित है, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश* ........................ के अंतर्गत आता है।

हस्ताक्षर..................... ...
पदकानाम..............................
साथसीलकार्यालय

जगह............
तारीख............----------------------------------------------------------------------------------------------------

कृपया जो शब्द लागू नहीं होते हैं, उन्हें हटा दें (@)। कृपयासंबंधित राष्ट्रपति आदेश का उल्लेख करें।
(%) जो अनुच्छेद लागू नहीं होता है, उसे हटा दें।
टिप्पणी:सामान्यतः निवास करता/करते हैं" शब्द का वही अर्थ होगा, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया गया है।

**जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:**

i. जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट।.
ii. मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट।.
iii. तहसीलदार के पद से कम न होने वाले राजस्व अधिकारी।सब-डिवीजनलअधिकारियोंकाक्षेत्रकहाँउम्मीदवारऔर/याउसकापरिवारसामान्यरूपसेरहताहै.
iv. उस क्षेत्र के उप-विभागीय अधिकारी, जहाँ अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है।
v. टिप्पणी:तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति (ST) अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडल अधिकारी (Revenue Divisional Officer) द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र ही प्रस्तुत करना चाहिए।.

**अनुलग्नक–'D'**

## OBC-NCL प्रमाणपत्र का प्रारूप

## भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (NCL) उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..........................................................................................................जो श्री/श्रीमती.........................................................................................के पुत्र/पुत्री हैं, ग्राम/नगर.........................................................,जिला/मंडल................................................., राज्य/केंद्र शासित प्रदेश..........................................................................के निवासी हैं,.................................................................समुदाय से संबंधित हैं, जिसे भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या...............................................................दिनांक......................................** के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के रूप में मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.......................................................................................................... तथा/अथवा उनका परिवार सामान्यतः..............................................राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के..............................................जिले/मंडल में निवास करता/करती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे उन व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं जिनका उल्लेख भारत सरकार, का**र्मिक** एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-Estt.(SCT) दिनांक 08.09.1993 तथा समय-समय पर संशोधित कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-Estt.(Res) दिनांक 27.05.2013 एवं 13.09.2017* के अनुसूची के स्तंभ 3 में किया गया है।

दिनांक: ......................................

**जिला मजिस्ट्रेट /उपायुक्त आदि**
**(मुहर)**

* प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकारी भारत सरकार के उस संकल्प का विवरण उल्लेखित कर सकता है जिसमें अभ्यर्थी की जाति को OBC के रूप में सूचीबद्ध किया गया हो।

** समय-समय पर संशोधित।

**नोट:**

A. यहाँ प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः (Ordinarily)" का वही अर्थ होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया गया है।

B. जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारियों का विवरण निम्नलिखित है
   i) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट / उप-मंडल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यपालक मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
   ii) मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट।
   iii) तहसीलदार या उससे उच्च पद का राजस्व अधिकारी।
   iv) उस क्षेत्र का उप-मंडल अधिकारी (Sub-Divisional Officer) जहाँ अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता हो।

**अनुलग्नक “E” –**

## अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने हेतु घोषणा-पत्र का प्रारूप

## घोषणा-पत्र

मैं,...........................................................................................श्री/श्रीमती..............................................................का पुत्र/पुत्री, ग्राम/नगर/शहर................................................, जिला.........................राज्य,..................................... कानिवासीनिवासिनी/, एतदद्वारा घोषणा करताकरती हूँ कि मैं/..............................................................................................................................

(अपनी उप-जाति का नाम लिखें) समुदाय से संबंधित हूँ, जिसे भारत सरकार द्वारा सेवाओं में आरक्षण के उद्देश्य से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-Estt.(SCT) दिनांक 08.09.1993 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं उन व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हूँ जिनका उल्लेख उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के स्तंभ 3 में किया गया है तथा इसके पश्चात् संशोधित कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-Estt.(Res) दिनांक 13.09.2017 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत भी मैं क्रीमी लेयर श्रेणी में नहीं आता/आती हूँ।

स्थान :..............................

आवेदक के हस्ताक्षर :....................................

दिनांक :.............................

आवेदक का नाम :.........................................

"

**अनुलग्नक "F"**

......................................................सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता)

**आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र**

प्रमाणपत्र संख्या : ........................................... दिनांक :..........................

वर्ष ......................................................के लिए वैध

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ......................................................................................................,जो श्री/श्रीमती.......................................................................................केपुत्र/पुत्री/पत्नी हैं तथा......................................(ग्राम/गली), डाकघर.....................................................................,जिला.................................................,............................... राज्य/केंद्रशासित प्रदेश..................................., पिन कोड..................................................के स्थायी निवासी हैं, जिनकासत्यापित छायाचित्र नीचे संलग्न है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से संबंधित हैं, क्योंकि उनके "परिवार"** की सकल वार्षिक आय* वित्तीय वर्ष...........................................................के लिए ₹8 लाख (केवल आठ लाख रुपये) से कम है।

इसके अतिरिक्त, उनका परिवार निम्नलिखित परिसंपत्तियों*** का स्वामी अथवा धारक नहीं है:

i) 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि।

ii) 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट।

iii) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

iv) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.........................................................................................ऐसी जाति से संबंधित हैं जिसे अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC - केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

| |
|---|
| आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट आकार का छायाचित्र, जिसे इस प्रमाणपत्र को जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा सत्यापित (अभिप्रमाणित) किया जाना है। |

**कार्यालय की मुहर सहित हस्ताक्षर**

कार्यालय : ..........................................

नाम : ..............................................

पदनाम : ..........................................

टिप्पणी 1 : आय में सभी स्रोतों से प्राप्त आय शामिल होगी, जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि।

टिप्पणी 2 : इस प्रयोजन के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ प्राप्त करना चाहता है, उसके माता-पिता, 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन, तथा उसका पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

टिप्पणी 3 : EWS स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि अथवा संपत्ति स्वामित्व की जांच करते समय, "परिवार" के स्वामित्व वाली विभिन्न स्थानों अथवा विभिन्न नगरों/शहरों में स्थित संपत्तियों को एक साथ (समेकित रूप से) माना जाएगा।

**आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित हैं:**

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट/उप-मंडल मजिस्ट्रेट (Sub-Divisional Magistrate)/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।

(ii) मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) तहसीलदार से निम्न पद का न होने वाला राजस्व अधिकारी।

(iv) उप-मंडल अधिकारी (Sub-Divisional Officer) उस क्षेत्र का, जहाँ अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है।